

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/2019/398

दिनांक. 03.09.2019.

—:आदेश:—


वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008, एफ.14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं एफ.15(1)एफडी/नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	देय एसीपी पे-मैट्रिक्स दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल प्राप्त/प्राप्त पे-बैंड	देय ग्रेड-पे/पे-मैट्रिक्स लेवल
1.	पवन कुमार शर्मा	पीएचएन	सीकर	28.02.1992	28.02.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
2.	केदार सिंह	पीएचएन	भरतपुर	28.02.1992	28.02.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
3.	नैनाराम हुडा	नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.1990	20.06.2017 27 वर्ष	L-13	L-14
4.	भवर लाल जाट	नर्स प्रथम	जयपुर	10.03.1992	10.03.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
5.	राम सिंह ढाका	नर्स प्रथम	सीकर	11.03.1992	11.03.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
6.	डालचंद जाट	नर्स प्रथम	उदयपुर	11.07.1990	11.07.2017 27 वर्ष	15600-39100	6000
7.	उमेश चन्द्र गोड़	नर्स प्रथम	जयपुर	25.03.1992	25.03.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
8.	वैजन्ती माला	नर्स प्रथम	भरतपुर	31.07.1990	31.07.2017 27 वर्ष	15600-39100	6000
9.	बलदेव सोमानी	नर्स प्रथम	चित्तौड़गढ़	28.02.1992	28.02.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
10.	मनोज कुमार राठौड	नर्स प्रथम	चित्तौड़गढ़	29.02.1992	01.03.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
11.	दिलिप चन्द बोहरा	नर्स प्रथम	चित्तौड़गढ़	11.03.1992	11.03.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
12.	रमणी देवी	नर्स प्रथम	बीकानेर	04.11.1991	04.11.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
13.	गिरिराज प्रसाद गौतम	फार्मासिस्ट	जयपुर	13.03.1984	13.03.2013 27 वर्ष	9300-34800	4800/-
14.	ओमप्रकाश खण्डेलवाल	नर्स प्रथम	उदयपुर	15.04.1993	15.04.2011 18 वर्ष	9300-34800	4200/-
15.	उमा सोनी	नर्स प्रथम	उदयपुर	10.07.1992	10.07.2019 27 वर्ष	L-13	L-14

नोट- क्रम संख्या 13 पर अंकित श्री गिरिराज प्रसाद गौतम, फार्मासिस्ट के 02 वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के कारण 27 वर्ष पर देय एसीपी दिनांक 13.03.2011 के स्थान पर दिनांक 13.03.2013 से देय है।

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी सतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होगा।

उक्त कार्मिकों का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।


(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 03.09.2019

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/2019/398

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
2. संबंधित प्रधानाचार्य एव नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
3. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. आदेश/निजी पत्रावली।


(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर